प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 13.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आधा किलो अफीम, 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस एवं 01 मोटरसाइकिल बरामद

संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 13.04.2021 की प्रातः समय करीब 03:00 बजे थाना तिकुनिया पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बेलरायां- तिकुनिया रोड स्थित टिकईपुरवा मोड़ से पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्तों रेशम सिंह, गुरमेज सिंह एवं पप्पू सिहं को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से आधा किलो अफीम, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस एवं 01 अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना तिकुनिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा गया है। अभियुक्त रेशम सिंह एवं पप्पू सिंह उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व से थाना तिकुनिया पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास के विषय में जनपद खीरी एवं आस-पास के जनपदों से जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रूपये का नगद पुरस्कार दिया गया है।

गिरफ्तारी अभियुक्तों का विवरणः-

1.रेशम सिंह पुत्र जगीर सिंह नि0 ग्राम रननगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी
2.गुरमेज सिंह उर्फ गेजू पुत्र गुरमीत सिंह नि0 ग्राम रननगर थान तिकुनिया खीरी
3.पप्पू सिहं पुत्र प्रीतम सिंह नि0 ग्राम रननगर थाना तिकुनिया खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1.मु0अ0सं0 80/21 धारा 307 भादवि थाना तिकुनिया खीरी
2.मु0अ0सं0 81/21 धारा 3/25/27 आम्र्स एक्ट थाना तिकुनिया खीरी
3.मु0अ0सं0 82/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना तिकुनिया खीरी
4.मु0अ0सं0 83/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना तिकुनिया खीरी

5.मु0अ0सं0 84/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना तिकुनिया खीरी

आपराधिक इतिहास रेशम सिंहः-

1.मु0अ0सं0 151/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तिकुनिया खीरी

आपराधिक इतिहास पप्पू सिंहः-

1.मु0अ0सं0 114/20 धारा 147/148/332/356/427 भादवि थाना तिकुनिया खीरी

बरामदगी का विवरणः-

500 ग्राम अवैध अफीम

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

01 अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना न0 यूपी 31 ए0एल0 5011

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.प्रभारी निरीक्षक ज्ञान प्रकाश तिवारी, थाना तिकुनिया
2.उ0नि0 रामतिलक वर्मा, थाना तिकुनिया
3.उ0नि0 शिवकुमार सिंह, क्राइम ब्रांच
4.आरक्षी रिंकू पाल, थाना तिकुनिया
5.आरक्षी गौरव मिश्रा, थाना तिकुनिया
6.आरक्षी प्रशांत तेवतिया, थाना तिकुनिया
7.आरक्षी योगेश तोमर, क्राइम ब्रांच
8.आरक्षी तुसार चौधरी, क्राइम ब्राच

<u>थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन कुमार को अवैध चाकू व तलवार सहित गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी मेहन्दी थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू व 01 अदद तलवार बरामद कि गई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 148/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **330 लीटर अवैध कच्ची शराब**, **04 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **14 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना भीरा	130 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना पलिया	60 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सिंगाही	60 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना तिकुनिया	60 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना सम्पूर्णानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	330 लीटर	14 अभियुक्त गिरफ्तार